फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194) **श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री हनुमानप्रसाद शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्री डुंगरसिंह पिता भारतसिंह राजपूत निवासी धोरडीया मजरा नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **2. श्री छोटुसिंह पिता भारतसिंह राजपूत निवासी धोरडीया मजरा नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **3. शम्भु कंवर पुत्री भारतसिंह राजपूत निवासी धोरडीया मजरा नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **4. मन्नु कंवर पुत्री भारतसिंह राजपूत निवासी धोरडीया मजरा नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **5. कैलाश कंवर पुत्री भारतसिंह राजपूत निवासी धोरडीया मजरा नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **6. भंवर कंवर पत्नी भारतसिंह राजपूत निवासी धोरडीया मजरा नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. बिड़ला कॉरपोरेशन लिमिटेड बिरला सीमेंट वर्क्स यूनिट जरिये वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) चन्देरिया चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)** **2. तहसीलदार चित्तौड़गढ़।** **3. श्रीमती चांद कंवर बेवा मिठूसिंह राजपूत निवासी नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **4. श्रीमती शंकर कंवर पिता मिठूसिंह राजपूत निवासी नगरी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 26/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024, बउनवानी श्री डुंगरसिंह व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन व अन्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 09.09.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 26/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024, बउनवानी श्री डुंगरसिंह व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन व अन्य,** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील की अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ पारित नामान्तरकरण संख्या-1012 दिनांक 15.01.2021 के विरूद्ध अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194) **श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि अपीलार्थी की कृषि भूमि आराजी संख्या 2263 किता 1 रकबा 0.46 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें अनाधिकृत तरीके से न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, चित्तौड़गढ़ सम्मुख वास्तविक स्थिति को छिपाकर एकतरफा वर्षों पूर्व धारा-89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत भूमि का मुआवजा निर्धारित कर भूमि को बिलानाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में माईनिंग लीज का दाखिला लगाने का आदेश पारित कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से भूमि का मुआवजा खातेदारों को देने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में बिलानाम माईनिंग लीज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के अनुरूप अपीलार्थी को आज दिनांक तक किसी प्रकार का मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है और न ही उक्त भूमि से किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त किया गया है, कब्जा आज भी अपीलार्थी का ही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समक्ष प्रत्यर्थी-1 बिड़ला कार्पोरेशन द्वारा नामान्तरकररण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया जो अपीलार्थीगण को बिना सुने पारित किया गया, जिसे खारिज किया जावें। ● अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थीगण की उक्त अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को दर्ज कर अपने निर्णय 30.05.2024 से खारिज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 30.05.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्दर मयाद पेश की। अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 05.09.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी, प्रत्यर्थी-1 व 2 उपस्थित। अन्य पक्षकारान बावजुद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जा.दी. का पेश किया, जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अनापत्ति जाहिर करने से एवं उक्त दस्तावेज राजकीय कार्यालय से जारी प्रमाणित प्रतियां/प्रतियां होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। **अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** अपीलार्थी की कृषि भूमि आराजी संख्या 2263 किता 1 रकबा 0.46 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें अनाधिकृत तरीके से न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, चित्तौड़गढ़ सम्मुख वास्तविक स्थिति को छिपाकर एकतरफा वर्षों पूर्व धारा-89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत भूमि का मुआवजा निर्धारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194) **श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर भूमि को बिलानाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में माईनिंग लीज का दाखिला लगाने का आदेश पारित कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से भूमि का मुआवजा खातेदारों को देने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में बिलानाम माईनिंग लीज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के अनुरूप अपीलार्थी को आज दिनांक तक किसी प्रकार का मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है और न ही उक्त भूमि से किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त किया गया है, कब्जा आज भी अपीलार्थी का ही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समक्ष प्रत्यर्थी-1 बिड़ला कार्पोरेशन द्वारा नामान्तरकररण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त नामान्तरकरण पारित किया गया जो अपीलार्थीगण को बिना सुने पारित किया गया, जिसे खारिज कराये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील पेश की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को अविधिक तरीके से खारिज की दी गई। प्रत्यर्थी-1 कम्पनी का कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं है और सारे अवार्ड अपीलार्थी के जीवनकाल में जारी हुए है, जिसकी विरासत हुए कई अर्सा हो चुका है। अपीलार्थी के जीवनकाल में इन अवार्ड के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई, जारी अवार्ड करीब 25 वर्षों पुराने है, ऐसी स्थिति में इनकी पालना नहीं कराई जा सकती है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि का गलत आदेश के तहत कोई मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है तथा भूमि पर आज भी अपीलार्थी का ही कब्जा है। अवात्पि की जो कार्यवाही की गई है, वह नियम 1894 के तहत की गई है और उसके पश्चात भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 लागु किया था और इस पर नया नियम 24 लागु होता है, इसके अवार्ड जारी हुए 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने से एवं भौतिक कब्जा नहीं लेने अवार्ड का मामले स्वतः ही व्यपगत समझे जावेगें। उक्त विधिक स्थिति का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया। न ही अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया गया है। प्रत्यर्थी-1 द्वारा वर्ष 1987 में सहायक माइनिंग अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ समक्ष एक पत्र लिख कर जिसमें उक्त भूमियां भी सम्मिलित है के सहित 400 हैक्टेयर भूमि को सरेन्डर किया गया, जिसके बाद उक्त भूमियों के संबंध में राजपत्र में विज्ञप्ति भी जारी की गई। इसके उपरान्त प्रत्यर्थी-1 स्वयं द्वारा माईनिंग विभाग को उक्त भूमि माईनिंग एरिया में नहीं आती है, अवगत कराया। इस सभी तथ्यों की जानकारी प्रत्यर्थी-1 को होते हुए भी उसके द्वारा उक्त अविधिक नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई। ऐसे में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं नामान्तरकरण को अपास्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2024 सुप्रीम 486 का पेश किया गया। **प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलार्थी द्वारा अपील में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है, वह पूर्णतया निराधार और वास्तविकताओं को छिपाकर प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजीयात में सभी अपीलार्थीगण श्री भारतसिंह के उत्तराधिकारी है और उक्त आराजीयात श्री भारतसिंह, व मिठुसिंह के सयुंक्त खातेदारी में थी। उक्त भूमि के संबध में न्यायालय अपर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रत्यर्थी-1 के पक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194) **श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में धारा-89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश दिनांक 06.11.1998 को पारित हुआ। उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में दुसरे खातेदार श्री मिठुसिंह द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त कर ली गई। परन्तु अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी एवं स्वयं अपीलार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि लेने से इन्कार करने पर विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत मुआवजा राशि कोर्ट में जमा करा दी गई, जिसे अपीलार्थी लेने के लिये सदेव स्वतंत्र है। अपीलार्थीगण द्वारा 1987 की जिन कार्यवाहियों का हवाला दिया जा रहा है, वह इस प्रकरण से संबंधित नहीं है। यह प्रकरण धारा-89 के तहत पारित आदेश के संबंध में पारित नामान्तरकरण से है और धारा-89 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की डबलबेंच द्वारा अंतिम निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित किया जा चुका है। ऐसे अंतिम निर्णय एवं सक्षम निर्णण की पालना में पारित नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि नामान्तरकरण एक सक्षम आदेश की पालना में स्वीकृत हुआ है और नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। यदि अपीलार्थी अपने हक व अधिकार तय कराना चाहता है तो उसे पहले सक्षम आदेश को निरस्त कराना होगा जबकि इस मामलें में धारा-86 का निर्णय अंतिम हो चुका है। इन सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें अब इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2005(2) पेज 774, आरआरटी 2019(1) एससी पेज 299, एआईआर 1995 एससी पेज 812, 2020(1) सिविल टाईम्स एससी पेज 59, एआईआर 1995 एससी पेज 1891, एआईआर 1995 एससी पेज 1955, सिविल टाईम्स (राज) 2003(1) पेज 94 पेश किये। **प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत, साक्ष्यों के आधार पर एवं तार्किक होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।** **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।** पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि वर्तमान अपील की अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ पारित नामान्तरकरण संख्या-1012 दिनांक 15.01.2001 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थीगण की उक्त अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को दर्ज कर अपने निर्णय 30.05.2024 से खारिज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त नामान्तरकरण एवं निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई।	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194)
श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>इस न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध एवं प्रस्तुत साक्ष्यों/दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी श्री भारतसिंह है। विवादित आराजीयात श्री भारतसिंह पिता श्री मोड़सिंह राजपूत व श्री मिठुसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। विवादित आराजीयात व अन्य आराजीयात के संबंध में प्रत्यर्थी-1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा-89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायालय अपर कलक्टर (भु.अ.), चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण संख्या 76/1997 होकर दिनांक 06.11.1998 को निर्णय द्वारा श्री मिठुसिंह के वारिसान द्वारा समझौते के आधार पर एवं भारतसिंह के विरूद्ध निर्णय दिया जाकर निर्णय में मुआवजा राशि रू. 160443/- का निर्धारण किया गया। लेख किया जाना आवश्यक है कि मुआवजा निर्धारण के आदेश दिनांक 06.11.1998 की पालना में संयुक्त खातेदार श्री मिठुसिंह के उत्तराधिकारी द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त कर लिये जाने का अंकन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अंकित किया गया है, परन्तु श्री भारतसिंह द्वारा राशि लेने से मना कर दिये जाने से नियमानुसार मुआवजा राशि सिविल डिपोजिट के रूप में प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश के यहा जमा करा करा दिये जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण मूल रूप से प्रकरण संख्या 76/1997 दिनांक 06.11.1998 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त करवाने के लिये कोई चाराजोही नहीं की है और वह निर्णय अंतिम होगा। प्रावधित है कि न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व अभिलेख में जो इन्द्राज किए गए है उसके संबंध में इन्द्राज करने वाले अधिकारी हो यह अधिकार नहीं है व न था कि वह भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को गुणावगुण पर देखें। उसका कर्तव्य केवल न्यायालय आदेश की पालना करें। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के तर्क में कोई बल नहीं है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में उसे सुना नहीं गया। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 का नियम 128 इस प्रकार हैः-

न्यायालय की आज्ञा-न्यायालय की आज्ञायें दर्ज करनें में पटवारी को परत और प्रति-परत की खाना कालम (17) में लाल स्याही से नीचे लिखे हुए तथ्य लिखने चाहिए-

(1) न्यायालय का नाम

(2) पक्षकारों का नाम

(3) डिक्री का सांराश

उपरोक्त नियम में स्पष्ट दिया गया है कि न्यायालय की आज्ञा की पालना में सिर्फ पक्षकारों का नाम व आज्ञा संक्षिप्त में लिखना ही आवश्यक है, इसमें पक्षकारों को नोटिस देने को कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि आज्ञा पालन करने वाला अधिकारी न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम नारायण 1968 आरएलडब्ल्यु 367 में अभिधारित</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194) **श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया हैः-

> Revenue Courts have not created by an Act in the legislature and are, therefore, as much Courts within the sphere allotted to them as are the civil Courts in the sphere allotted to them by the legislature. It is true, the administrative officers, who are under the control of Government, are appointed as revenue Courts, but that will not mean that when they are discharging their functions as a Court, they are doing so as limb of the executive branch of the State. Whey they are so functioning as revenue Courts, in my view, they belong to the judicial branch of State like the regular civil Courts. It is as much expected of them to have judicial attachment dealing with the matters before them as is expected of the Civil Court of the realm.

आरआरटी 2005(2) पेज 774 में माननीय न्यायालय द्वारा मत प्रतिपादित किया है कि

> Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Sec.84 – Land Acquired by order of Special Officer and in compliance of the order land mutated in the name of UIT- Order of attestation of mutation challenged but Court below dismissed the appeal – Revision- basic foundation of the mutation is the order of acquisition of land – Without challenging the order acquisition of land, mutation cannot be cancelled – No legal or jurisdictional error in the order of Courts below & upheld.

इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है।

न्यायिक दृष्टान्त 2021 आरबीजे पेज 670 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 135- Mutation proceedings are not record of right they are only fiscal in nature. Mutation proceedings do not confer any rights in the disputed land if non petitioner have any right in the disputed land best remedy available is to file suit for declaration and get their right decided in regular suit.

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत RRD 1993 पेज संख्या 88-90 में राजस्थान भू-अभिलेख नियमों के नियम 133(ग) को उद्धृत किया -

''नामान्तरकरण करने से इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है कि उसमें यह कहा गया हो कि अप्रार्थीगण का प्रथागत या कानूनी रूप से ऐसे अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं था। नामान्तरकरण की प्रक्रिया का स्वरूप फिस्कल है। यदि किसी पक्षकार को इससे असंतोष हो तो वह नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध नियमित वाद ला सकता है।''

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 146/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/194) **श्री डुंगरसिंह राजपूत व अन्य बनाम बिड़ला कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकरण में नामान्तरकरण का मूल आधार निर्णय दिनांक 06.11.1998 है, जिस चुनौती दिये बिना इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसी स्थिति के अनुरूप अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज की, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण से सुसंगत होने से चस्पा होते है। दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सभी पहलुओं पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया है। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	